Issue-09/Vol-29/March-June 2021 ISSN No. 2319 - 5908
An International Multidisciplinary Peer Reviewed Quarterly Journal

शोध संदर्श

शोध संदर्श

SHODH SANDARSH

शिक्षा, साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य आदि

Chief Editor :
Dr. V.K. Pandey

Editor :
Dr. V.K. Mishra
Dr. V.P. Tiwari

UGC Approved Peer Reviewed Journal

SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR SJIF No. 6.756

GENERAL IMPACT FACTOR GIF No. 1.7276

विविध ज्ञान - विज्ञान - विषय का मन्थन एवं विमर्श।
नव - उन्मेषी दशा - दिशा से भरा 'शोध - सन्दर्श' ॥

Content

- **Assessment of the Dimensions of Total Quality Management (TQM) and their Relationship with TQM in Solar Plant Sector** –*Saurabh Kumar Soni, Dr. Smriti Singh, Prof. Dr. Anjali Srivastava* 1-10
- **वर्तमान दलित-संघर्ष और अम्बेडकर की दृष्टि**–*डॉ. जयकुमार मिश्र* 11-13
- **भारत में जाति-प्रथा, उद्भव व भविष्य**–*रवीन्द्र नाथ शर्मा* 14-16
- **पश्चिम ओडिशा के लोकगीत में राम व रामायण**–*डॉ. संजय कुमार सिंह* 17-19
- **Respondent's Utilitarian Attitude Towards Online Shopping of Fashion Products** –*Dimple Tilwani* 20-27
- **Reproductive Health Problems of Women in Rural Areas**–*Dr. (Smt) Nalini Bengeri* 28-35
- **कालिदास के ग्रन्थों में बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा : एक दृष्टि**–*डॉ. अमित कुमार जायसवाल* 36-40
- **जैन दर्शन के सन्दर्भ में विश्व शान्ति की मानवीय संकल्पना का विश्लेषणात्मक अध्ययन** –*डॉ. (श्रीमती) सविता सिंह* 41-46
- **श्यामनारायण पाण्डेय के काव्य में राष्ट्रीयता**–*डॉ. ममता उपाध्याय* 47-50
- **जया जादवानी की कहानियों में स्त्री के नवीनतम आयाम**–*डॉ. वर्षा खरे* 51-55
- **सूनी घाटी का सूरज और मानव मूल्य**–*मंजीत कुमार एवं परमजीत कौर* 56-58
- **भारत में नगरीकरण**–*डॉ. इन्द्रजीत सिंह* 59-60
- **एक राष्ट्र, एक चुनाव**–*कमलेश यादव* 61-64
- **सम्प्रेषण के उद्देश्य/समाज में सम्प्रेषण के कार्य**–*डॉ. प्रदीप कुमार गुप्ता* 65-67
- **जनपद अम्बेडकर नगर में मृदा गुणवत्ता एवं फसल उत्पादकता हेतु नियोजन प्रारूप एवं सुझाव**–*डॉ. महीपाल सिंह* 68-70
- **MGNREGA : As a Boon for Rural Employment During COVID-19 Pandemic** –*Dr. Ravindra Pratap Singh & Dr. Satyendra Kumar* 71-73
- **Role of Information Technology In Modern Warfare**–*Dr. Anand Kumar Singh* 74-78
- **तुलसी की साहित्यिक प्रतिभा**–*डॉ. कंचन सिंह* 79-83
- **महिला शोषण और मानवाधिकार : एक सामाजिक अध्ययन**–*डॉ. हरेन्द्र कुमार सिंह* 84-86
- **संत मलूकदास का सांस्कृतिक अवदान**–*डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय* 87-93
- **'नैषधीयचरित' महाकाव्य के विविध वैशिष्ट्य का परिप्रेक्ष्य**–*श्याम प्यारी पटेल एवं डॉ. अजय कुमार* 94-98
- **History of Rise and Decline of Medieval Kara-Manikpur** –*Dr. Vimlesh Kumar Pandey* 99-105
- **अयोध्या शहर में कोविड-19 महामारी के पश्चात स्वास्थ्य अवसंरचना का एक मूल्यांकन** –*डॉ. श्याम बहादुर सिंह* 106-111
- **वाल्मीकि रामायण में वर्णित मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्श स्वरूप का अध्ययन** –*सुरेन्द्र प्रताप यादव* 112-114
- **शिक्षा का मौलिक अधिकार**–*डॉ. उमाशंकर सिंह* 115-117
- **भूमंडलीकरण का कला-साहित्य पर प्रभाव**–*शशिधर यादव एवं प्रो. मीना यादव* 118-120
- **ग्रामीण निर्धनों के रोजगार निर्धारण में मनरेगा की भूमिका**–*सुप्रिया पाण्डेय* 121-124
- **Urbanization In India : Transition In Process**–*Dr. Anil Kumar Srivastava* 125-129
- **समकालीन महिला आत्मकथा : सर्वेक्षण एवं सहचिन्तन**–*अमृता कुमारी* 130-133
- **धूमिल का विरोधी स्वर**–*आशीष कुमार चौरसिया* 134-137
- **साहित्य और सामाजिक यथार्थ**–*डॉ. कविता त्यागी* 138-140

(U.G.C. Approved Peer Reviewed Refereed Journal) ISSN No. - 2319-5908

Pol. Science: Shodh Sandarsh-IX, Vol.-XXIX, March-June 2021, Page : 11-13

General Impact Factor : 1.7276, Scientific Journal Impact Factor : 6.756

वर्तमान दलित-संघर्ष और अम्बेडकर की दृष्टि

*डॉ. जयकुमार मिश्र**

डॉ भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम आधुनिक नेतृत्वकर्त्ता थे जिन्होनें दलितों के भीतर 'राजनीतिक चेतना' का संचार करके उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ने का आवाहन किया। यद्यपि उनके पूर्व अनेक सन्त, महात्माओं एवं समाज–सुधारकों ने दलितों के लिए 'सामाजिक न्याय' और मानवीय गरिमा की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था लेकिन उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को इन मुद्दों पर आन्दोलित करने का कोई संगठित कार्य नहीं किया। अम्बेडकर के इस कार्य को उनके इस उद्घोष के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि 'शिक्षित बनो, संगठित बनो और जागरूक बनो'। अम्बेडकर ने तत्कालीन समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की सामाजिक अभिजात्यता को चुनौती दी और समानता का समर्थन किया। इस क्रिया की स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया भी हुई लेकिन अम्बेडकर ने यह सिद्ध कर दिया कि अछूतों के साथ होने वाले भेदभाव के पीछे कोई धार्मिक नियम नहीं है, यह केवल उच्च वर्ग द्वारा निर्मित काल्पनिक मान्यताएं हैं। यह सही भी है कि जो हिन्दू धर्म 'वसुधैव–कुटुम्बकम' कहता हो, या जहॉ कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हों –'जन्मना जायते शूद्रः ...' या जहाँ यह कर्मकाण्ड हो कि मृत्यु के बाद दाह–संस्कार के लिए 'डोम' (शूद्र) द्वारा अग्नि प्रदान की जाएगी, वहाँ शूद्रों को अछूत कहकर तिरस्कृत करना या उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोकना या उन्हें तालाब का पानी न पीने देना जैसी बातें शास्त्र–सम्मत तो कदापि नहीं हैं। हिन्दुओं के दो सबसे बड़े आराध्य राम और कृष्ण के जीवन–कर्म पर आधारित दोनों महाकाव्य 'रामायण' और 'महाभारत' क्रमशः बालमीकि और वेदव्यास ने लिखे हैं और ये दोनो ही तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के शूद्र वर्ण से थे तथापि ये परम श्रद्धेय ऋषि माने गए। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर–जो कि शूद्र वर्ण से थे–का अत्यंत सम्मान था, जबकि रामायण काल में रावण (ब्राह्मण) का वध श्रीराम (क्षत्रिय) द्वारा किए जाने पर भी उसे उचित माना गया। इन सबसे यह प्रमाणित होता है कि शास्त्रों में या हिन्दू परम्परा में शूद्र को निकृष्ट या अछूत कहने का न तो कोई तार्किक कारण है और न ही कोई प्रमाण। यह बात अब स्वीकार की जाती है कि, वर्ण–व्यवस्था कर्म आधारित थी और जाति–व्यवस्था जन्म आधारित। वर्ण–व्यवस्था में लोकतांत्रिक तत्व थे जबकि जाति व्यवस्था में सामन्तवादी। वर्ण व्यवस्था एक खुली प्रणाली थी जबकि जाति व्यवस्था एक बन्द व्यवस्था है।

'मूकनायक' और 'बहिष्कृत भारत' जैसे सारगर्भित नाम वाले समाचारपत्रों के द्वारा अम्बेडकर अपने विचारों से तत्कालीन दलित समाज को अपनी समस्याओं के उपचार का अहिंसक एवं लोकतांत्रिक रास्ता दिखा रहे थे। उनके इन विचारों का विरोध भी हुआ लेकिन अनेक उच्च वर्ण के लोगों ने समर्थन भी किया, इनमें बाल गंगाधर तिलक जी भी थे। तिलक ने अम्बेडकर के दलितों के मंदिर में प्रवेश का समर्थन करते हुए कहा कि, 'यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को मानेंगे तो मैं उन्हें ईश्वर मानने से इन्कार कर दूँगा।' तिलक के सुपुत्र श्रीधर पंत ने भी अम्बेडकर के कन्धे–से–कन्धा मिलाया लेकिन ब्राह्मणों के हठी व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होने आत्महत्या कर ली और अपने अंतिम पत्र में डॉ. अम्बेडकर को अपने महान कार्यों में सफलता की शुभकामनाएं प्रेषित की।' वस्तुतः पूरे विश्व में कहीं भी जब किसी के विशेषाधिकारों को चुनौती दी जाती है तो उसका विरोध उच्च वर्ग अवश्य करता है। अश्वेतों का श्वेतों के विरुद्ध किया गया आन्दोलन श्वेतों के द्वारा पसंद नहीं किया गया, इसी प्रकार फ्रांस की क्रान्ति ने जब 'समानता' का उद्घोष किया तो फ्रांस का उच्च वर्ण इसे अहिंसक तरीके से स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ, फलतः क्रान्ति का रूप हिंसक हो गया। भारत में दलितों के संघर्ष एवं तत्सम्बन्धी आन्दोलन का स्वरूप मूलतः अहिंसक और वैचारिक था, यह अम्बेडकर की उपलब्धि थी। अवांछित छिटपुट हिंसक घटनाओं के बावजूद भी भारत की सामाजिक व्यवस्था को आधुनिक परिवेश में ढालने तथा समस्त विशेषाधिकारों का उन्मूलन करने के लिए संगठित आन्दोलन चलाने का श्रेय अम्बेडकर को जाता है, वे भारत के मैजिनी, गारीबाल्दी और मार्टिन लूथर हैं।

* *विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर, उ.प्र.*

अम्बेडकर के साहसिक प्रयास और भी स्तुत्य हो जाते हैं जब हम यह देखते हैं कि उन्होनें अपने आन्दोलन को ऐसे समय में संगठित व सफल बनाया जब सत्ता व समाज दोनों ही उनके विरुद्ध थे।

आज हम लोकतांत्रिक समाज एवं निर्वाचित राजनीतिक व्यवस्था के अंग बन चुके हैं और अंबेडकर कालीन दलित वर्ग का एक हिस्सा मुख्य धारा में शामिल हो चुका है तथापि, किसानों, स्त्रियों, आदिवासियों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग वैसी ही सामाजिक दशाओं में रहने को अभिशप्त है जैसा कि, स्वतंत्रता पूर्व दलितों की थी। किसानों की आत्महत्या निरंतर जारी है[2], स्त्रियों एवं आदिवासियों पर निरंतर प्रहार जारी है। अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता क्या अत्यंत बढ़ नहीं जाती या उनकी दृष्टि न्यायसंगत मानते हुए हमारा यह कर्त्तव्य नहीं बन जाता कि, किसानों को उनकी आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाकर उन्हें अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक सशक्त अंग बनाएं या स्त्रियों के लिए एक उचित सामाजिक परिवेश बनाकर उन्हें पुरुष–प्रधान समाज में समानता के धरातल पर खड़ा करें? आज भारत भूमि पर लाखों लोग ऐसे हैं जो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण एवं भेदभाव जैसी अमानवीय दशाओं में जी रहे हैं, उन्हें वैसी ही 'पीड़ा' झेलनी पड़ रही है जैसी अम्बेडकर के समय 'दलितों' ने झेली थी, ये लोग 'आज के दलित' हैं और इन्हें अम्बेडकर की तलाश है।

पिछले 25–30 वर्षों से उत्तर भारत के दो राज्यों, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, में ऐसी ही सरकारें सत्ता में रही हैं जिनका वोट–बैंक दलित वर्ग है (उत्तर प्रदेश में लगभग 25 वर्षों से या तो सपा की सरकार रही है या बसपा की और बिहार में दलित समर्थक लालू यादव, राबड़ी देवी या नितीश कुमार सत्ता में रहे हैं), तथापि इन लोगों ने दलितों को समाज व राजनीति की मुख्य धारा में लाने का ऐसा कोई सार्थक प्रयास या जनान्दोलन नहीं चलाया जिससे कि वे इतने सशक्त हो जाएं कि आरक्षण की बैसाखी फेक सकें। अम्बेडकर के नाम पर सत्ता प्राप्त करने वाले नेताओं के बारे में यह सोचने का समय आ गया है कि यदि सत्ता प्राप्त करने के बाद भी 'दलितों' का उत्थान कर उन्हें समाजिक–आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था की मुख्यधारा में नहीं लाया जा सका तो फिर दलितों की हुँकार भरने वाली इस राजनीति से क्या फायदा? किसको फायदा? और कब तक फायदा?–यह विचारणीय प्रश्न है। आज के तथाकथित दलित नेता दलितों को राजनीतिक रूप से तो जागरूक बनाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से नहीं। भारत के किसी भी दलित नेता ने यह नहीं कहा है कि, उसे या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आरक्षण नहीं चाहिए, कोई भी दलित नौकरशाह या व्यापारी समृद्ध एवं सक्षम होने के बावजूद भी स्वयं के आरक्षण का परित्याग कर किसी भी दलित भाई (जिसे वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है) को आरक्षण देकर मुख्यधारा में शामिल करने का काम नहीं किया। वस्तुतः भारत में दलितों की राजनीति वह वर्ग कर रहा है जो वास्तव में 'दलित' वर्ग से बाहर आकर स्वयं अम्बेडकर के शब्दों में 'नवीन ब्राह्मण वर्ग' बन गया है। यह वर्ग कभी भी नहीं चाहेगा कि, दलित वर्ग समाज की मुख्यधारा में शमिल हो जाय क्योंकि दलितों को 'आरक्षण' का प्रलोभन देकर तथा उनके ऊपर हुए अत्याचार का भय दिखाकर ही उन्हें राजनीतिक रूप से 'प्रयोग' किया जा सकता है।

भारत में दलित विमर्श का एक पक्ष और है जो दलितों के प्रति भेदभाव को 'नस्लवाद' से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहा है। वस्तुतः यह इस समस्या के अन्तर्राष्ट्रीयकरण का ही एक षड्यंत्र है। प्रख्यात विश्लेषक वेदप्रताप वैदिक लिखते हैं कि, "...1919 में मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और बदले में भारत कों आजाद कराने के लिए अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों से सीधी सहायता माँगी! नतीजा क्या हुआ? भारत की मुस्लिम समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ और अन्ततोगत्वा पाकिस्तान बन गया। क्या दलित समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करके हम किसी दलितिस्तान की नींव नहीं रख देंगे? मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयकरण की जितनी पोल डॉ अम्बेडकर ने खोली, शायद किसी ने नहीं खोली। पता नहीं दलित समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण वे पसन्द करते या नहीं। क्या विदेशी शक्तियाँ दलितों के बहाने भारत को तोड़ने में सक्रिय नहीं हो जाएंगी? ...अभी भी विचारणीय मुद्दा है कि, दलितों को भड़काने में विदेशी इसाई मशीनरी सदा उत्साहित क्यों दिखायी पड़ती हैं? क्या वे सचमुच दलितों से प्रेम करते हैं? दलितों की मुक्ति को लेकर अगर बाहरी दबाव बढ़ेगा तो क्या भारत के लोग उसे विदेशी दखलन्दाजी कहकर रद्द नहीं कर देंगे? दलितोद्धार के लिए यदि कोई प्रामाणिक विदेशी सहायता मिलेगी, तो भी लोग उस पर उंगली उठाएंगे और यह कौन नहीं जानता कि ज्यादातर विदेशी सहायता के पीछे कोई न कोई प्रकट या अप्रकट एजेण्डा होता ही है। कण भर विदेशी सहायता लालच में अपने मन भर आत्म–सम्मान को हमारे दलित किसी के हाथ गिरवीं क्यों रखें? जिस समाज ने उनपर अत्याचार किया है, वे उसी से हर्जाना क्यों नहीं वसूलते? ...गोरे और मालदार देश संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया जाने वाला अपना न्यूनतम

अंशदान तक नहीं देते। वे हमारे सर्वहारा समाज के खून–पसीने का मुआवजा क्या चुकाएंगे? क्यों चुकाएंगे?''[3] वे पुनः प्रश्न उठाते हैं कि, ''दलित राजनीति के अन्तर्राष्ट्रीयकरण से दलितों को क्या लाभ मिलेगा?'' वें आगे लिखते हैं कि, जातियों के अन्दर उपजातियाँ तथा सवर्णों और शूद्रों की विभिन्न जातियाँ और उनके आपसी सम्बन्ध क्या घोर अपमान और अत्याचार के प्रतीक नही हैं? इनके विरूद्ध संघर्ष कौन करेगा? जब तक सभी जातियाँ नहीं टूटेंगी, दलितों का दलितपन कैसे खत्म होगा? क्या दलित अनंत काल तक दलित ही बने रहना चाहते हैं?''[4]

किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह वह अपने समाज के अन्तर्विरोधों को कहाँ तक सुलझा पाती हैं। 21 नवंबर, 1949 को एच. जे. खांडेकर ने संविधान निर्मात्री सभा में दलितों की स्थिति पर बोलते हुए कहा था कि, ''...अगर भारत से छुआछूत के इस कलंक या भूत को भगाना है तो कराड़ो–करोड़ हिन्दू जनता की मानसिकता को बदलना होगा। जब तक उनका हृदय परिवर्तित नही होगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि, छुआछूत दूर हो पाएगी। अब यह हिन्दुओं पर निर्भर है कि, छुआछूत को किसी भी रूप में स्वीकार न करें।''[5] भारत में दलित वर्ग शैक्षिक एवं राजनीतिक केन्द्र में रहने के बावजूद भी अपेक्षित विकास नहीं कर सका है और यह केवल भारत में ही नहीं है। अरब–जगत में भी वहाँ की बहुसंख्यक आबादी, अमीर वर्ग/शासक वर्ग के विशेषाधिकारों के नीचे दबी हुई है और राजनीतिक सहभागिता एवं मूलभूत अधिकारों से वंचित है। इसी प्रकार आइ.एस.आइ.एस. के कब्जे वाले क्षेत्रों में शिया मुसलमानों तथा स्त्रियों की दशाएं लगभग वैसी ही हैं जैसी कि, अम्बेडकर के समय दलितों की थी, इन सबके साथ 'राजनीतिक व सामाजिक सत्ताएं' अमानवीय एवं घिनौना व्यवहार कर रही हैं। ऐसे में अम्बेडकर के विचार हमारा मार्गदर्शन करने में पूर्णतः सक्षम हैं कि, समाज में समरसता एवं समानता की स्थापना, राजनीतिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व/भागीदारी, आर्थिक सक्षमता और सभी प्रकार के भेदभावों तथा विशेषाधिकारों का अन्त करके ही हम अहिंसक और मानवीय समाज का निर्माण कर सकते हैं।

सन्दर्भ

1. राजेन्द्र पटोरिया, 'अम्बेडकर–चित्रमय जीवनी', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 22, 2012.
2. 1991 ई. के बाद से अब तक लगभग 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है।
3. वेदप्रताप वैदिक, 'वर्तमान भारत', पृ. 195, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002
4. वेदप्रताप वैदिक, वही, पृ. 197
5. रामचन्द्र गुहा, 'भारत–गाँधी के बाद', पृ. 475, पेंगुइन बुक्स इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली, 2012

* * * * *